न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

J.O.Code–UP 2735

UPBH010036542026

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–350/12/2026

श्यामावती–––––बनाम ––––संतोष कुमार सिंह आदि।

अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना हरदी, जनपद बहराइच।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० का निस्तारण

19.08.2026

1– पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन० एस०एस० पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

2– प्रार्थिनी श्यामावती द्वारा प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस० एस० मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने की याचना की गयी है।

3– संक्षेप में प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अ–3 में कथन है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति (पासी) की गरीब महिला है। प्रार्थिनी का खेत घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है जिसमें प्रार्थिनी की जोती बोयी गन्ने की फसल लगी है विपक्षीगण जबरदस्ती प्रार्थिनी के खेत से होकर ट्रैक्टर ट्राली व अन्य कृषि यंत्र निकालकर प्रार्थिनी के खेत की फसल नष्ट करते रहते है। घटना दिनांक 28–05–2026 समय लगभग 11 बजे की है। विपक्षीगण प्रार्थिनी के खेत से ट्रैक्टर, ट्राली व कृषि यंत्र निकालकर गन्ने की फसल नष्ट कर रहे थे सूचना पाकर प्रार्थिनी अपने पति के साथ अपने खेत पर पहुँची और मना किया जिस पर विपक्षीगण उग्र हो गये और भद्दी–भद्दी जातिसूचक गालियाँ पासी चमार पासी साले देते हुए प्रार्थिनी व उसके पति को लात, मुक्का, थप्पड़ व लाठी, डण्डा से बुरी तरह से मारा–पीटा और धमकी दी कि अगर दोबारा रोका तो तुम्हे जान से मारकर तुम्हारी लाशे नदी में बहा देगे। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आये और उसी देन थाने पर जाकर घटना की सूचना दी किन्तु विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 02–06–2026 को आनलाइन व दिनांक 05–06–2026 को जरिये रजिस्ट्री डाक पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच को घटना की सूचना दी किन्तु विपक्षीगण के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही न होने पर और प्रार्थिनी का मुकदमा दर्ज न होने के कारण प्रार्थिनी न्यायालय श्रीमान् जी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन हे कि थानाध्यक्ष हरदी को आदेशित एवं निर्देशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र के प्रकाश में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कर आरोप–पत्र विहित समय में न्यायालय श्रीमान् जी पर प्रस्तुत करें।

4– प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र, प्रभारी निरीक्षक थाना हरदी को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक बहराइच को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जनसुनवाई की छायाप्रति, जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति व अन्य कागजात एवं रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया गया है।

5– थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना की आख्यानुसार प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना की आख्या में यह आया है कि आवेदिका श्यामावती के खेतसे सटे चकमार्ग है। गांव वालों द्वारा बताया गया कि श्यामावती के द्वारा चकमार्ग का 2/3 हिस्सा लगभग काटकर खेत में मिला कलिया गया है। जब पैमाइश के लिए बुलाया जाता है तो श्यामावती व उनके परिजन नहीं आते हैं बाद में कहते है कि पैमाइश गलत किया गया है। संतोष सिंह चकमार्ग से ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में गये थे उसी से नाराज होकर प्रार्थनापत्र दे रही है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र में किये गये कथन व इस सम्बन्ध में थाने से प्राप्त जाँच आख्या के अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से यह पाया जाता है कि प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जो कथन किये गये हैं वे मात्र पेशबन्दी में बढ़ा चढ़ाकर तथ्यों को अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र में यह किये गये कथन निराधार पाये जाते है। ऐसी दशा में प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/आवेदिका का प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस० एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

दिनांक 19.08.2026